

For Immediate Release:

18 March 2015

Contact:

Dr Manilal Valliyate +91 9820947382; ManilalV@petaindia.org
 Sachin Bangera +91 9820122561; SachinB@petaindia.org

'बंधन' में शिशु हाथी को पानी से बंधित रखा जा रहा है, और वह उपचार न किए गए जख्मों से पीड़ित है

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड-प्राधिकृत पशु चिकित्सा निरीक्षण टीम द्वारा उसे तत्काल अभ्यारण्य में भेजने का आह्वान किया है

मुम्बई – पशु चिकित्सकों की एक टीम जिसमें परियोजना लीडर (केरल में कॉलेज ऑफ वेटेरिनरी एण्ड एनिमल सार्क्सेज के सेंटर फॉर स्टीडीज़ ऑन एलिफेन्ट्स) तथा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) के सहयोगित सदस्य तथा मानद पशु कल्याण अधिकारी शामिल हैं, द्वारा ३ वर्षीय हाथी के शिशु जिसे सुमन नाम दिया गया है, द्वारा सहन किए जा रहे क्रूर तथा स्पष्ट रूप से अवैध शोषण को प्रलेखित किया है, जिसे वर्तमान में गुजारत में जी टेलीविज़न सीरीज बंधन में दिखाया जाता है, जहां पर उसे उसके महावत द्वारा रखा गया है। विशेषज्ञों ने यह सिफारिश की है कि सुमन को पुनर्वास के लिए तत्काल प्रतिष्ठित अभ्यारण्य में अंतरित किया जाना चाहिए। निरीक्षकों द्वारा 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, १९६० तथा भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ के विभिन्न उपबन्धों के खुले उल्लंघन की ओर संकेत किया गया जिसमें अविधिसम्मत उपहार विलेख भी शामिल है, तथा उन्होंने यह सिफारिश की है कि महाराष्ट्र वन विभाग द्वारा स्वामित्व प्रमाणपत्र को रद्द करना चाहिए और सुमन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। एडब्ल्यूबीआई को भेजी गई निरीक्षकों की रिपोर्ट तथा सुमन की दुर्दशा की तस्वीरों के रूप में साक्ष्य पीटा के पास उपलब्ध हैं, जिनका आंशिक रूप से आदर्श वाक्य है, 'पशु हमारे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए नहीं हैं'।

निरीक्षण टीम द्वारा यह देखा गया कि सुमन को तंग जगह पर, छोटी, कर्सी हुई नाइलोन की रस्सी से बांध कर रखा गया है। वह त्वचा के संभीर संक्रमण से भी पीड़ित है तथा उसके शरीर पर नींबू के आकार का उपचार न किया गया जख्म भी है तथा पुनरावृत्त व्यवहार द्वारा परिलक्षित गंभीर मानसिक तनाव को भी देखा गया जिसमें सूंड को घुमाना डुलाना तथा खुला होने पर सिर को नीचे झुकाना और उठाना शामिल है। सुमन को निरीक्षकों के सम्मुख उसके महावत द्वारा छड़ी से भी धमकाया गया तथा उसे पर्याप्त पेयजल, उचित आवास या आवश्यक पशु चिकित्सा देखभाल भी प्रदान नहीं की जा रही थी।

पीटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूर्व जोशीपुरा ने कहा कि 'हाथी के इस बच्चे ने अपनी छोटी सी जिंदगी में सिवाए अभाव और शोषण के अलावा कुछ और नहीं देखा है तथा उसे अब वचाब की आवश्यकता है ताकि वह उसे वह समर्पित देखभाल प्रदान की जा सके जिसकी उसे आवश्यकता है।' प्रोडक्शन सेट्स पर सभी पशुओं के शोषण से बचाने के लिए, पीटा द्वारा फिल्म निर्माताओं और टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स को केवल सहमत होने वाले मानव कलाकारों, कम्प्यूटर द्वारा तैयार इमेजरी तथा इनेनिमेट प्राप्स का ही इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।'

हालांकि किसी हाथी को पीटना या प्रताड़ित करना अवैध है, लेकिन फिर भी बंधक हाथियों को हिंसा के माध्यम से ही प्रशिक्षित किया जाता है। महावतों द्वारा खास तौर पर हाथियों की स्प्रिट्स को तोड़ दिया जाता है जिसमें उन्हें जबरदस्ती क्राल में डाल दिया जाता है जिसमें वे हिल-डुल नहीं सकते हैं या फिर उन्हें दो पेड़ों के साथ बांध दिया जाता है और अंकुशों या लाठियों से उनकी तब तक पिटाई की जाती है (फायरप्लेस पोकर की तरह का हथियार जिसमें एक सिरे पर हुक बना हुआ होता है) जब तक कि वे पूरी तरह से आशा छोड़ नहीं देते हैं। जब हाथियों से काम नहीं करवाया जाता है तो उन्हें रस्सियों और बेड़ियों से बांध कर रखा जाता है तथा वे मारे जाने के भय में जीवन जीते हैं। एक टेलीविज़न प्रोडक्शन सेट, जिसमें अनेक बार रिटेक किए जाते हैं और प्रशिक्षकों द्वारा अनेक आदेश दिये जाते हैं, वह पशुओं के लिए एक भयावह परिवेश होता है, जो इस बात का अंदाज नहीं लगा सकते कि उनके आसपास क्या हो रहा है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया PETAIndia.com. पर जाएं।

PEOPLE FOR
THE ETHICAL
TREATMENT
OF ANIMALS

PETA India
PO Box 28260
Juhu, Mumbai
400 049
(22) 4072 7382
(22) 2636 7383 (fax)

Info@petaindia.org
PETAIndia.com

NEWS RELEASE

Affiliates:

- PETA US
- PETA Foundation (UK)
- PETA Asia-Pacific
- PETA Germany
- PETA Netherlands

Registered Office:
H-341, Ground Floor
New Rajendra
Nagar, New Delhi
110 066